

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 6(3)शिक्षा/ग्रुप-3/2020

जयपुर, दिनांक: 03/09/2020

—: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.08.2020 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 281 की अनुपालना में 10 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

निम्नांकित 9 राजकीय महाविद्यालयों के नाम के आगे अंकित विषय को स्नातकोत्तर स्तर पर खोलते हुए महाविद्यालय को स्नातकोत्तर पर क्रमोन्नत किए जाने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

| क्र.सं. | जिला | राजकीय महाविद्यालय का नाम | विषय |
|---------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | बाड़मेर | राजकीय महाविद्यालय, बायतु | भूगोल |
| 2 | बाड़मेर | राजकीय कन्या महाविद्यालय, बालोतरा | हिन्दी साहित्य |
| 3 | भरतपुर | राजकीय महाविद्यालय, बयाना | भूगोल |
| 4 | धौलपुर | राजकीय कन्या महाविद्यालय, धौलपुर | हिन्दी साहित्य |
| 5 | धौलपुर | राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी | हिन्दी साहित्य |
| 6 | भीलवाड़ा | राजकीय महाविद्यालय, रायपुर | हिन्दी साहित्य |
| 7 | अलवर | राजकीय महाविद्यालय, तिजारा | राजनीति विज्ञान |
| 8 | जोधपुर | राजकीय महाविद्यालय, बालेसर | राजनीति विज्ञान |
| 9 | झुंझुनूं | राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ | हिन्दी साहित्य |

यह अनुमति माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग कार्यालय की आई.डी. संख्या रा. मं./उ.शि./2020/751 दिनांक 31.08.2020 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
3. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव


आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ 20 (101/)/आयो/आकाशि/2020-21/ 388

दिनांक: 8 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त शासन, सचिव माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान जयपुर।
- 3 निजी सचिव माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 5 निजी आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 6 संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 7 संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 8 संयुक्त शासन सचिव आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 9 संयुक्त सचिव (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 10 कुल सचिव, संबधित विश्वविद्यालय।
- 11 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 12 संयुक्त निदेशक, (एच आर डी/प्रशासन) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 13 संयुक्त निदेशक, अकादमी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 14 प्राचार्य, संबधित राजकीय महाविद्यालय।
- 15 वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज० जयपुर।
- 16 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (आयोजना)